



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १०, अंक ३]

सोमवार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २६ फरवरी, २०२४ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. II OF 2024.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा विधेयक क्रमांक २ सन् २०२४।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९६१ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके
का महा.२४। उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने
सन् २०२४ के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश,
का महा. २०२४, १५ जनवरी २०२४ को प्रख्यापित हुआ था ;
अध्या. क्र. १।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए।
- (२) यह १५ जनवरी २०२४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३-एक घ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की, धारा ७३-एक घ की, उप-धारा (२) के परंतुक में, सन् १९६१, का महा.२४।
- “ छह महीने ” शब्दों के स्थान में, “ दो वर्ष ” शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. १ का निरसन और व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र सहकारी संख्या (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२४, का महा. अध्या.
- (२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी । क्र. १।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

राज्य में सहकारी गतिविधि का सुव्यवस्थित विकास करने के लिए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा ७३-एक घ यह उपबंध करती है कि, संस्थाओं के अधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समिति की विशेष बैठक के लिए जिस दिनांक पर उसने अपना पद ग्रहण किया उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

२. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि, संस्था के अधिकारी को उसके निर्वाचन के पश्चात्, संस्था के प्रबंध मंडल का कार्य करने के लिए पर्याप्त अवधि प्राप्त हो कि जिस अवधि में संस्था के अधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक विशेष बैठक का मांगपत्र दिया न जाए ऐसा उक्त अवधि, छह महीने से दो वर्षों तक बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा ७३-एक घ का यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; अतः महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. १) १५ जनवरी २०२४ को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुम्बई,

दिनांकित १५ फरवरी, २०२४।

सहकारिता मंत्री,

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,

मुम्बई,

दिनांकित २६ फरवरी, २०२४।

जितेंद्र भोळे,

सचिव (१) (कार्यभार)

महाराष्ट्र विधानसभा।